Ajit Singh Toofan and others v. State of Haryana and others.
(Surinder Singh, J.)

डी. एस. तेवतिया और सुरिंदर सिंह, जे.के समक्ष

अजीत सिंह तूफ़ान और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य;-प्रतिवादी

1985 की सिविल रिट याचिका संख्या **2939**

30 मई **1986.**

भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद **16**-सरकारी पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति-नियुक्ति पत्र, जिसमें कहा गया है कि नियमित नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उपलब्धता पर सेवा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा-तदर्थ नियुक्त व्यक्ति

ऐसी शर्त को स्वीकार करना - ऐसे नियुक्त व्यक्ति - क्या नियमित रिक्तियों के विरुद्ध अवशोषण का दावा करने के हकदार हैं - ऐसे नियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका - क्या सक्षम नहीं होने के कारण खारिज की जा सकती है।

यह माना गया कि जिन नियुक्तियों को केवल तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और जिन्होंने अपनी नियुक्ति इस स्पष्ट शर्त के साथ स्वीकार की थी कि उनकी सेवा का कार्यकाल नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होते ही समाप्त हो जाएगा, वे कोई कानूनी या न्यायसंगत अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नियमित रिक्तियों के विरूद्ध समाहित किया गया। इसलिए, ऐसे नियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका सक्षम नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

(पैरा **11**)

भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

(i) मामले के रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं;

(ii) उत्तरदाता को पूर्व नोटिस की सेवा प्रदान की जाए

(iii) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से मुक्ति दी जाएगी;

(iv) उत्तरदाता और याचिकाकर्ता को उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त करने के लिए

परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जैसे नंबर **1** से **51** तक की योग्यता सूची में शामिल व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था;

(v) उत्तरदाताओं की कार्रवाई को रद्द करने के लिए सर्टिओरी की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, जबकि वे नंबर **1** के उम्मीदवारों के समान नियमों और शर्तों के तहत नियुक्त होने के हकदार थे। मेधा सूची के **1** से **51** तक को नियुक्त किया गया है;

(vi) कोई अन्य ऐसी या समान रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे;

(vii) इस याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या **4** द्वारा उन पदों को भरने की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता काम कर रहे थे।

सिविल विविध. **1986** की संख्या **1135.**
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा **151** के साथ पठित आदेश **1** नियम **10** के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि आवेदन को न्याय के हित में अनुमति दी जाए और आवेदकों को उपरोक्त रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध होने का आदेश दिया जाए।
याचिकाकर्ता के लिए कुलदीप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता (आर.के. मलिक, उनके साथ वकील।
अतिरिक्त याचिकाकर्ता के लिए वकील जी.एस. बावा।
एच. एल. सिब्बल, ए.जी. हाई. जगदेव शर्मा, डी.ए.जी. के साथ नमस्ते, **-** उत्तरदाताओं संख्या **1** से **3** के लिए।
जे एल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता (सुबाष आहूजा, राजीव आत्मा राम और राकेश खन्ना, अधिवक्ता, उनके साथ), **-** प्रतिवादी संख्या **4** के लिए।
भूप सिंह, वकील, प्रतिवादी संख्या **5** के लिए।
आवेदक के लिए सी. बी. कौशिक वकील (सी.एम. संख्या **1135/86** में)।

निर्णय

सुरिंदर सिंह, जे.

(1) क्या कोई व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है, वह अधिकार के रूप में नियमित आधार पर नियुक्ति का दावा कर सकता है, अजीत सिंह तूफान और आठ अन्य द्वारा दायर इस रिट याचिका में, विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान का अनुच्छेद **226** हरियाणा राज्य और अन्य उत्तरदाताओं के विरुद्ध है। गुरचरण सिंह याचिकाकर्ता संख्या **10** को वर्तमान रिट याचिका में अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ सूचीबद्ध होने **1985** के सिविल विविध संख्या **3117** में पारित आदेश **26** नवंबर, **1985** के तहत अनुमति दी गई थी ।

(2) रिट याचिका में मुख्य कथन और इन कथनों के संबंध में राज्य की ओर से दिए गए उत्तर को संक्षेप में दोहराया जा सकता है। **20** जुलाई, **1981** के 'द ट्रिब्यून' (अनुलग्नक पीएल) में छपे विज्ञापन के माध्यम से, अभियोजन निदेशक, हरियाणा ने सहायक जिला अटॉर्नी के **66** पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। फिर से अभियोजन निदेशक, हरियाणा द्वारा द ट्रिब्यून में **7** सितंबर, **1982** को एक और विज्ञापन डाला गया (अनुलग्नक पी/2) जिसमें सहायक जिला

अटॉर्नी के 77 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रतिवादी-राज्य का मामला यह है कि पहले उल्लेखित विज्ञापन था

7 सितंबर **1982** को दूसरे विज्ञापन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसका अर्थ है कि दोनों विज्ञापन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं थे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि लगभग **2,000** उम्मीदवार थे, उपरोक्त उल्लिखित **77** पदों के लिए विचार किये जाने हेतु आवेदन किया है। इन अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया ।
जिसमें विभिन्न तिथियों पर (1) महाधिवक्ता, (2) कानूनी सलाहकार और (3) अभियोजन निदेशक, हरियाणा शामिल हैं। रिट याचिका में कहा गया है कि चयन समिति ने 7 दिसंबर, 1984 को सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में नियुक्ति के लिए 161 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की, जो योग्यता में सर्वोच्च थे। आरोप यह है कि प्रतिवादी नं.2, यानी सचिव हरियाणा सरकार ने चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को दो प्रकार के नियुक्ति पत्र जारी किए। जो उम्मीदवार मेरिट सूची में क्रम संख्या 1 से 51 तक थे, उन्हें 'अलग-अलग प्रकार' का नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, जिसका एक विवरण अनुबंध पी/3 के रूप में संलग्न किया गया है। जो उम्मीदवार सीरियल एनबीएस से मेरिट सूची में थे। हालाँकि, 52 से 161 को एक अन्य प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, जिसका एक नमूना अनुबंध पी/4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस स्तर पर इस संबंध में सरकार के रुख पर गौर करना उचित होगा। इसके जवाब में कहा गया है कि चयन समिति ने 77 पदों के विरुद्ध 51 अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त चुना । इन 51 पोस्टों का विवरण इस प्रकार है:

(i)सामान्य वर्ग	...39
(ii) अनुसूचित जातियाँ	2
(iii) पिछड़ा वर्ग	5
(iv)शारीरिक रूप से विकलांग	….2

शेष **26** आरक्षित पद थे। यह आरोप कि चयन समिति द्वारा **161** उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची तैयार की गई थी, तथ्यात्मक रूप से गलत होने का खंडन किया गया। इसमें आगे कहा गया है कि क्रमांक **52** से **161** तक के अभ्यर्थी लिए, कुल मिलाकर **110** को पूरी तरह से छह महीने की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर समाहित किया, इस स्पष्ट शर्त के साथ कि नियमित आधार पर योग्य उम्मीदवारों के चयन के बाद उनकी सेवाएं बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। मेरिट सूची के उत्तर में कहा गया है कि इस मेरिट सूची में योग्यता के क्रम में केवल **51** उम्मीदवार शामिल थे। शेष उम्मीदवार मेरिट सूची में नहीं थे ।

(3) रिट याचिका में दिए गए कथन पर वापस आते हुए, यह कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि उन्हें भी नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए जैसा कि क्रम संख्या **1** से **51** तक के उम्मीदवारों को किया गया था। याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया गया कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। हालाँकि, यह तर्क आधे राज्य में इस तथ्य की पुनरावृत्ति से विवादित है कि याचिकाकर्ताओं के लिए उनकी तदर्थ नियुक्ति पर आश्चर्य करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था। हालाँकि, उन्हें 'नव निर्मित पदों सहित न्यायालयों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज' से निपटने की दृष्टि से तदर्थ आधार पर लिया गया था। रिट याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा **26** मई, **1972** को जारी निर्देशों पर भी भरोसा रखा गया था (कॉपी अनुलग्नक पी/**5**)। जिसके अनुसार अनुशंसा तिथि से पहले सृजित सभी पदों के साथ-साथ अनुशंसा तिथि से छह माह के भीतर सृजित सभी पदों को एक ही चयन से भरा जाना था। राज्य की ओर से जवाब दिया गया कि 'ये निर्देश केवल उन उम्मीदवारों के मामले में लागू हैं जो हरियाणा लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चुने गए हैं और केवल तदर्थ आधार पर नियुक्त याचिकाकर्ता किसी भी मामले में इन निर्देशों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

(4) याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि जिन पदों पर वे काम कर रहे हैं, उन्हें दोबारा विज्ञापित किया गया है। प्रासंगिक विज्ञापन की एक प्रति अनुबंध पी/6 के रूप में प्रस्तुत की गई थी। यह तथ्य कि सहायक जिला अटॉर्नी के **91** पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, राज्य की ओर से विवादित नहीं था। हालाँकि, यह फिर से कहा गया कि तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों (याचिकाकर्ताओं की तरह) को नियमित आधार पर नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। इन कथनों के साथ, याचिकाकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को नियमित आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के समान नियमों और शर्तों पर नियुक्त करने के लिए एक परमादेश जारी करने की प्रार्थना की, यानी क्रम संख्या **1** से **51** तक। यह दावा राज्य सरकार द्वारा खंडन किया गया है।

अनुदेश, अनुलग्नक पी/**5**, लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली प्रतीक्षा सूची की परिकल्पना करता है। इस मामले में चयन समिति में भरने के लिए नाम चुने जाने है।

चयन प्राधिकारी, इस मामले में चयन समिति की सिफारिश की प्राप्ति की तारीख से दी गई अवधि के भीतर होने वाली रिक्तियां। हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता श्री एच.एल. सिबाई ने तर्क दिया है कि चयन समिति ने कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की है, जैसा कि उक्त निर्देशों में परिकल्पित है और इसलिए दी गई रिक्तियों को उन उम्मीदवारों से भरने का सवाल है, जिनकी प्रतीक्षा सूची में नाम आने की बात सामने नहीं आई।

(5) इसलिए, जिस प्रश्न पर सबसे पहले विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या चयन समिति द्वारा कोई मेरिट सूची या प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी और यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों की। अन्य सभी तर्क अकेले इस दृढ़ संकल्प से उत्पन्न होंगे। इस संबंध में, राज्य सरकार ने सहायक जिला अटॉर्नी के विज्ञापित पदों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा किए गए चयन से संबंधित पूरा रिकॉर्ड हमारे अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया। यह देखा जा सकता है कि उक्त रिकॉर्ड में **1921** उम्मीदवारों की सूची है, जिनका **22** दिसंबर, **1982** और **3** मार्च, **1984** के बीच विभिन्न तिथियों पर साक्षात्कार हुआ था। प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और पता,**150** अंकों में से प्राप्त कुल अंकों का उल्लेख उसके सामने किया गया है। प्रतिवादी-राज्य ने कुछ संचारों की प्रतियां भी रिकॉर्ड में रखी हैं, जिनके विवरण पर ध्यान दिया जा सकता है। श्रृंखला का पहला दस्तावेज़ चयन समिति की उसके तीनों सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवाही का एक ज्ञापन है जिसके अनुसार समिति ने **39** उम्मीदवारों की सिफारिश की (**9** पदों सहित जिन्हें अन्य विभागों से स्थानांतरण द्वारा भरा जाना आवश्यक था, लेकिन ऐसा कोई उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया) सामान्य श्रेणी के लिए और **12** आरक्षित श्रेणियों के लिए, कुल मिलाकर **51**, इन पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाना है (जोर मेरा)। इन उम्मीदवारों की एक सूची उनके रोल नंबर के साथ अनुशंसा के साथ संलग्न की गई थी। इस सिफ़ारिश के आधार पर अभियोजन निदेशक, हरियाणा ने **7** सितंबर, **1984** को पत्र के माध्यम से वित्तीय आयुक्त राजस्व एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचित किया कि सरकारी अधिसूचना, **30** जुलाई, **1982** के संदर्भ में सहायक जिला अटॉर्नी के चयन के लिए, तीन सदस्यों यानी महाधिवक्ता, कानूनी सलाहकार और अभियोजन निदेशक की एक समिति ने **77** पदों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित किए थे और उसके परिणामस्वरूप, **51** उम्मीदवारों के नामों की अस्थायी आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु सिफारिश की गई थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि इन **51** उम्मीदवारों को सहायक जिला अटॉर्नी के पदों पर नियमित आधार पर विधिवत नियुक्त किया गया था।

Ajit Singh Toofan and others v. State of Haryana and others
(Surinder Singh, J.)

(6) तदर्थ आधार पर **35** उम्मीदवारों की भर्ती के विषय पर कालानुक्रमिक क्रम में अगला पत्र **11** सितंबर, **1984** को अभियोजन निदेशक, हरियाणा से वित्तीय आयुक्त, राजस्व और सरकार, हरियाणा के सचिव को लिखा गया है। सहायक जिला अटॉर्नी के पदों के आधार पर। इस पर विस्तृत रूप से ध्यान देना आवश्यक है:

"विषय: सहायक जिला अटॉर्नी की अनौपचारिक आधार पर भर्ती ।

77 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को खुले बाजार से भर्ती के लिए विज्ञापित किया गया था और **9** रिक्तियों को अन्य विभागों से स्थानांतरण द्वारा भरा जाना था। लेकिन अस्थायी नियुक्ति के लिए विभिन्न श्रेणियों के केवल **51** अभ्यर्थी ही शामिल हुए।

2. ये **51** अभ्यर्थी 77 पदों में से थे लेकिन अन्य विभागों से स्थानांतरण पर एक भी उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे । इन पदों के पुन:विज्ञापन और नियमित नियुक्ति के लिए उनके साक्षात्कार में समय लगेगा और अभियोजकों के अभाव में अदालतों में कामकाज अनावश्यक रूप से रुका रहेगा।

3. इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि ऊपर उल्लिखित दोनों श्रेणियों में रिक्त होने वाले इन **35** पदों को नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होने तक तदर्थ आधार पर भरा जाए।

4. तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए **35** उम्मीदवारों की सूची इसके साथ संलग्न है। इन सभी उम्मीदवारों की वरिष्ठता समिति द्वारा अनुमोदित योग्यता के अनुसार है।

(7) वर्तमान विवाद के लिए एक और पत्र सामग्री **17** सितंबर **1984** को अभियोजन निदेशक, हरियाणा द्वारा वित्तीय आयुक्त, राजस्व और सचिव, हरियाणा सरकार को लिखा गया, जो **47** सहायक जिला अटॉर्नी के पदों के लिए तदर्थ आधार, की भर्ती से संबंधित है। संदर्भ की सुविधा के लिए यह पत्र नीचे भी पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"विषय: सहायक जिला अटॉर्नी की भर्ती

सितंबर **1982** से **21** पद रिक्त थे और राज्य में नए न्यायालयों के निर्माण के कारण **26** और पद रिक्त हो गए थे। ऐसे में इन पदों को भरने के लिए तत्काल **47** ए डी ए की जरूरत है।

"**2.** नियमित नियुक्तियों के लिए ए डी ए के चयन के लिए विज्ञापन देने और साक्षात्कार आयोजित करने में काफी लंबा समय लगेगा। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि इन **47** पदों को नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होने तक तदर्थ आधार पर भरा जाए। तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए **47** उम्मीदवारों की सूची इसके साथ संलग्न है। इन सभी उम्मीदवारों की वरिष्ठता समिति द्वारा अनुमोदित योग्यता के अनुसार है।

(8) अंत में, तदर्थ आधार पर सहायक जिला अटॉर्नी के **18** पदों की भर्ती अभियोजन निदेशक, हरियाणा द्वारा **17** सितंबर, **1984** को उसी पते पर भेजे गए पत्र के आधार पर की गई थी। इस कारण यह भर्ती आवश्यक हो गई थी: चार सहायक जिला अटॉर्नी को अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण चार रिक्तियां हुईं और उप जिला अटॉर्नी के पदों पर सहायक जिला अटॉर्नी की पदोन्नति के परिणामस्वरूप **24** और रिक्तियां हुईं। इस नियुक्ति के मामले में भी पत्र में स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा गया था:-

"नियमित नियुक्ति के लिए ए डी ए के चयन के लिए विज्ञापन देने और साक्षात्कार

आयोजित करने में काफी लंबा समय लगेगा। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि इन 28 पदों को संलग्न सूची से तदर्थ आधार पर भरा जाए। इन सभी उम्मीदवारों की वरिष्ठता ए डी ए की भर्ती के लिए गठित समिति द्वारा अनुमोदित योग्यता के अनुसार है।

(9) उपरोक्त दस्तावेज़ों और उत्तरदाताओं की ओर से उत्तरों में दिए गए सहायक कथनों को देखने से संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि 7 सितंबर 1984 के पत्र में बताए अनुसार 51 उम्मीदवारों के पहले बैच की नियुक्ति अस्थायी आधार पर की गई थी। यानी नियमित आधार पर, जबकि नियुक्तियों के बाद के तीन सेटों के मामले में, ये विशेष रूप से तदर्थ आधार पर किए गए थे, जैसा कि ऊपर दिए गए प्रासंगिक संचार में दर्शाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि नियमित आधार पर 51 उम्मीदवारों के बैच की नियुक्ति के बाद, 77 रिक्तियों में से शेष पदों को फिर से विज्ञापित किया जाएगा, लेकिन इन्हें भरने के लिए साक्षात्कार बाकी हैं। नियमित पदों पर नियुक्ति में समय लगेगा, अभियोजकों की कमी के कारण न्यायालयों के कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी, नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होने तक तदर्थ आधार पर अधिक पद भरने की सिफारिश की गई थी। (11 सितम्बर 1984 और 17 सितम्बर 1984 के पत्र ऊपर पुनः प्रस्तुत देखें)। कुछ तदर्थ नियुक्तियों वाले वर्तमान याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि तदर्थ नियुक्तियों को समिति द्वारा किए गए चयन की प्रतीक्षा सूची में माना जा सकता है। हालाँकि, हमें नहीं लगता कि यह तर्क तर्कसंगत है। हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड यह नहीं दर्शाता है कि उक्त प्रतीक्षा सूची चयन समिति द्वारा तैयार की गई थी। वास्तव में, राज्य की ओर से इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है। हमारे समक्ष ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं रखी गई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि चयन समिति द्वारा ऐसी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी। इसलिए, हमारा मानना है कि चयन के दौरान कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई थी। इसलिए, जो तदर्थ कर्मचारी याचिकाकर्ता हैं, उनको ऐसी किसी प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियमित नियुक्ति पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता।

(10) हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि चयन प्राधिकारी को एक मानदंड विकसित करना था जिसके आधार पर यह तय करना था कि कोई उम्मीदवार विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने के लिए उपयुक्त है। जैसा कि प्रतिवादी राज्य की ओर से तर्क दिया गया है, यदि, चयन समिति ने प्रश्नगत पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश योग्य माने जाने के लिए उम्मीदवार द्वारा दिए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करने को निर्धारित नहीं किया है, तो इस न्यायालय को अपने आप ऐसे मानदंड विकसित कर जो उन पदों के लिए उम्मीदवारों के मामले में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विकसित किए गए समान हो, जिनके लिए वर्तमान में उक्त लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं।

हमारे द्वारा इस तरह के मानदंड विकसित करने की व्यवहार्यता की खोज करने से पहले, यह पता लगाना आवश्यक होगा कि क्या चयन समिति ने वास्तव में ऐसा कोई मानदंड विकसित किया है या नहीं, चाहे वह स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से हो।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन समिति ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित नहीं किया था कि किसी उम्मीदवार को अनुशंसित किए जाने के योग्य माने जाने से पहले

पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को दी गई संख्या से कम अंक प्राप्त नहीं करने होंगे। हालाँकि, हमारी राय में, विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के चयन की जांच से पता चलेगा कि चयन समिति ने निहित रूप से निर्णय लिया था कि एक निश्चित प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को दिए गए पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

चयन समिति को नियुक्ति के लिए 16 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की सिफारिश करनी थी। इसने केवल दो उम्मीदवारों की सिफारिश की, जिनके नाम चयन सूची के क्रम संख्या 44 और

45 पर थे, जिसमें 51 नाम शामिल थे। उन्हें 121 और 120 क्रमशः अंक प्राप्त हुए | अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की मेरिट सूची में क्रम संख्या 3 पर थे और चयनित नहीं हुए थे, सोहन पाल सिंह (रोल नंबर 983 के साथ) थे जिन्होंने 101 अंक प्राप्त किए थे।

चयन समिति को 21 पूर्व सैनिकों की अनुशंसा करनी थी। समिति ने इस श्रेणी से केवल 3 उम्मीदवारों की सिफारिश की। उनके नाम प्रश्नगत चयन सूची के क्रमांक 46, 47 और 48 पर अंकित थे। उन्हें 120, 119 क्रमशः प्राप्त हुए। जो पूर्व सैनिक उम्मीदवारों की मेरिट सूची में चौथे स्थान पर थे और नियुक्ति के लिए नहीं चुने गए थे, उनका नाम केहर सिंह (रोल नंबर 1582) था और उन्होंने 107 अंक प्राप्त किए थे।

इसका मतलब है कि आरक्षित वर्ग के मामले में भी चयन समिति ने 107 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन के योग्य नहीं माना। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में चयन समिति ने जो मानक निश्चित रूप से तय किया होगा, वह निश्चित रूप से उस अभ्यर्थी से अधिक होगा, जिसका नाम सामान्य श्रेणी के चयनकर्ताओं की सूची में शामिल है। अंत, उसके बराबर और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए पुनः अनुशंसित किया गया था और अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंकों का प्रतिशत कम होने पर चयन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था। इसलिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार करने की नौबत नहीं आई। ऐसी सूची केवल तभी तैयार की जाती है जब नियुक्ति के लिए पात्र माने जाने वाले उम्मीदवार भरे जाने वाले पदों की संख्या से अधिक होते हैं। जब ऐसा मामला नहीं है, तो चयन प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची बनाए रखने का कोई सवाल ही नहीं है, जिसे कार्यकारी निर्देशों, अनुलग्नक पी. 5. तदर्थ आधार के अनुसार सहारा लिया जा सकता है।

उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, प्रतिवादी-राज्य की ओर से बार में दिए गए अन्य तर्कों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

(10) नतीजतन, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं को केवल तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है और जिन्होंने इस स्पष्ट शर्त के साथ अपनी नियुक्ति स्वीकार की है कि नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होते ही उनकी सेवा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नियमित रिक्तियों में शामिल होने का कानूनी या न्यायसंगत अधिकार के अभाव में, उनके द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिका सक्षम नहीं है और न ही इस याचिका में उन्हें राहत दी जा सकती है, जिसे खारिज कर दिया गया है। हालाँकि, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

डी. एस. तेवतिया, जे.-मैं सहमत हूं।
H. S. B.

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा